पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 27/2019

अनवान :

1. सोरभ पुत्र श्री बलवान जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. बलवान पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी गांव छानीबड़ी।
2. मिन्टू पुत्री बलवान जाति जाट निवासी गांव छानीबडी।
3. सरोज पत्नि बलवान जाति जाट निवासी गांव छानीबड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वां उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एएमएस के खाता सं0 132/123 के मु0नं0 72 के किला नं0 16 से 20, 22 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 103 के किला नं0 2 से 9, किला नं0 12 से 19, किला नं0 22 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 106 के किला नं0 2 ता 15, प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 43 किता की 10.7780 है0 नहरी 10.535 है0, रोड 0.143 है0 खाला 0.1000 है0 खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बलवान के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जि. हनुमानगढ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 27/2019

अनवान :

1. सोरभ पुत्र श्री बलवान जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. बलवान पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी गांव छानीबड़ी।
2. मिन्टू पुत्री बलवान जाति जाट निवासी गांव छानीबडी।
3. सरोज पत्नि बलवान जाति जाट निवासी गांव छानीबड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री रोहताश शर्मा – **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 22.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एएमएस के खाता सं0 132/123 के मु0नं0 72 के किला नं0 16 से 20, 22 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 103 के किला नं0 2 से 9, किला नं0 12 से 19, किला नं0 22 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 106 के किला नं0 2 ता 15, प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 43 किता की 10.7780 है0 नहरी 10.535 है0, रोड 0.143 है0 खाला 0.1000 है0 खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु है एवं हिन्दु विधि विधान से शासित होते है। वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का जन्म से हक व हिस्सा है लेकिन वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी बलवान के नाम से दर्ज है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होने से वादी के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। प्रतिवादी सं0 2 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि अपने भाई वादी एवं अपनी माता प्रतिवादीया सं0 3 व अपने के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क करते हुए अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम इस भूमि के अलावा चक 2 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 33/25 के मु0नं0 21 की 3.036 है0 कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए प्रतिवादी बलवान ने अपनी चक 8 एएमएस के खाता सं0 132/123 वाले खाता में अपने नाम दर्ज

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

समस्त भूमि वादी व प्रतिवादीया सं0 3 के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किये गये। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी सौरभ पुत्र बलवान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी 8 एएमएस के खाता सं0 132/123 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, कुर्सीनामा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु है एवं हिन्दु विधि विधान से शासित होते है। वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने 8 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि होना व वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी बलवान के नाम से दर्ज होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी 8 एएमएस के खाता सं0 132/123 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1 पेश किया है जिसमें पूर्व की प्रविष्टि वादी के दादा भोमाराम वल्द शेराराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व उसके बाद की प्रविष्टि में जरिऐ विरासतन इंतकाल सं0 1126 द्वारा बलवान पुत्र भोमाराम के नाम 1/14 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है व उसके पश्चात् जरिऐ दस्तबरदारी इन्तकाल सं0 1205 से बलवान वल्द भोमाराम के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि हुई है। इस प्रकार वाद भूमि पुस्तैनी कृषि भूमि होना व कर्ता खानदान होने के नाते वादी के पिता के नाम दर्ज होना साबित है एवं कुर्सीनामा प्रदर्श 2 में बलवान सिंह के वारिसान में पत्नी सरोज, एक पुत्री मिन्टु व एक पुत्र सौरव होना अंकित है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है व वाद भूमि के अलावा चक 2 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 33/25 के मु0नं0 21 की 3.036 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा बनता है जिसे प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने हिस्सा में रखते हुए चक 8 एएमएस की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीया सं0 3 के नाम वाद भूमि बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाते हुए प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाने व राजीनामा में मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर पक्षकारान सहमत है। किन्तु पति के जीवनकाल में पत्नि वाद कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवा पाने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तोर पर साबित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एएमएस के खाता सं0 132/123 के मु0नं0 72 के किला नं0 16 से 20, 22 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 103 के किला नं0 2 से 9, किला नं0 12 से 19, किला नं0 22 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 106 के किला नं0 2 ता 15, प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 43 किता की 10.7780 है0 नहरी 10.535 है0, रोड 0.143 है0 खाला 0.1000 है0 खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बलवान के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़